भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता

Date / /
Page

भारत एक विविधता स्वरूप वाला विशाल जनसांख्यिकी देश है। विविधता में एकता के राष्ट्रीय स्वरूप को देखते हुए इसको और सुदृढ़ करने हेतु हमारे देश के संविधान में सभी धर्मों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों के देखते हुए धर्म-निरपेक्षता को अपनाया गया है।

42वें संविधान द्वारा संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ~~उद्देशिका~~ उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का दर्शन, जन्म कुण्डली और सार भी कहा जाता है। समय-समय पर प्रस्तावना संविधान के व्याख्या में सहायक भी सिद्ध हुआ है।

हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को नकारात्मक (Negative) स्वरूप के बजाय सकारात्मक (Positive) स्वरूप में अपनाया गया है। यहाँ तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी विशेष धर्म, पंथ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तवज्जो नहीं देगा। राज्य सभी धर्मों, पंथों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएगा। और यह भी ध्यान रखा गया है कि राज्य विशेष परिस्थिति में किसी भी धर्म को संरक्षण करने हेतु सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अर्थात राज्य इसका भी ख्याल रखेगा कि कोई नागरिक अपने धार्मिक क्रियाकलाप को सही विना व्यवस्था के सम्पन्न कर सके।

मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म संबंधी अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है।

Scanned with CamScanner

हमारे देश में राज्य के धर्म से निरपेक्ष होने का आशय धर्म के संदर्भ में उदासीनता से नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अपने संबंधित धर्म के भावनाओं को सुरक्षा प्रदान करना भी राज्य का कार्य है। धर्म को व्यक्ति विशेष का आंतरिक मामला माना गया है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है, या नहीं मानता है यह व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत मामला होता है। हाँ, लेकिन किसी धर्म के अनुयायियों की भावना आहत न हो, इसकी भी जिम्मेदारी राज्य को ही निभानी होती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनेक पाश्चात्य देशों में राज्य के प्रति नकारात्मक रुख अपनाता है, अर्थात वहाँ राज्य धर्म के संदर्भ में उदासीनता दर्शाता है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि हाल ही में देश के अंदर कुछ दुखद घटनाएँ घटित हुई। इसे लेकर कुछ बुद्धिजीवियों के साथ-साथ कुछ राजनीतिक दलों ने देश में असहिष्णुता के माहौल की बात की। इस घटनाओं को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई। इतने बड़े देश में घटना किसी भी आ पर घटित हो उसे साम्प्रदायिक रंग देने के बजाय, हमें शां स्थापित करने हेतु कार्य करना चाहिए। घटना किसी भी स में हो, इसमें किसी धर्म सम्प्रदाय से ज्यादा केवल व केवल मानवता ही शर्मसार होती है। नार्वे जैसे शांतिप्रिय दे में भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बिच टकराव होती रही

निष्कर्षतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्म व्यक्ति से संबंधित एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है। इसके संद में विश्व के किसी जगह यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति के साथ जी व्यतीत करना चाहता है, तो उसके अधिकारों की सुरक्षा करना चाहि

Scanned with CamScanner